

## बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो०-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

### निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद रसायन परीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक— 27.09.2016 से 24.10.2016 तक

विज्ञापन संख्या— 18010116, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के अधीन उत्पाद रसायन परीक्षक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

#### कुल रिक्तियाँ:-08 (आठ)

अनुसूचित जाति	-	02
अनुसूचित जनजाति	-	00
अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग	-	01
पिछङ्गा वर्ग	-	01
पिछङ्गा वर्ग की महिला	-	00
अनारक्षित	-	04

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट-बढ़ सकती है।

वेतनमान—पी०बी०-२ (9300—34,800), ग्रेड—पे 4,200/-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता—एम०एस०सी० (रसायन शास्त्र) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।

अन्य योग्यताएँ—देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने एवं लिखने की योग्यता।

उम्र सीमा दिनांक—01.08.2015 के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

- (1) आयु न्यूनतमः— 21 (इककीस) वर्ष। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या—2530, दिनांक—29.06.2010 के अनुसार अधिकतम—(1) अनारक्षित (पुरुष) — 37 वर्ष। (2) पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष। (3) अनारक्षित (महिला) — 40 वर्ष। (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 42 वर्ष।
- (2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक—62, दिनांक—05.01.2007 के आलोक में विकलागों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—2447, दिनांक—06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।

भर्ती की प्रक्रिया:- चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा ।

1. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ट प्रश्नों के और 150-150 अंकों की दो पत्रों की होगी । परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत् होगे:-

लिखित परीक्षा — 300 अंक

(i) प्रथम पत्र

रसायन शास्त्र — 150 अंक

(ii) द्वितीय पत्र

(क) सामान्य ज्ञान — 100 अंक

(ख) संख्यात्मक अभियोग्यता — 50 अंक

(2) साक्षात्कार — 35 अंक

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा । मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा, प्रमाण पत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जायेगी । तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी ।

#### क्वालीफाइंग मार्क्सः-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अलग-अलग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अहंतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैं:-

सामान्य वर्ग — 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग — 36.5 प्रतिशत

अ0पि0वर्ग — 34 प्रतिशत

अनु०जाति / जनजाति — 32 प्रतिशत

महिला वर्ग — 32 प्रतिशत

#### परीक्षा शुल्कः-

(क) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी-750 रुपये ।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सिंप बिहार के स्थायी निवासी के लिए)-200 रुपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु -750 रुपये ।

(घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु० जाति / जनजाति के समान)-200 रुपये ।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा । यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 775.88 रुपये देय होगा । उसी प्रकार ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 06.90 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 206.90 रुपये देय होगा । एस० बी० आई बैंक चालान के माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल

800.00 रुपये देय होगा । बैंक चालान के माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 250.00 रुपये देय होगा ।

अभ्यर्थी ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक— 27.09.2016 से 28.10.2016 तक अथवा SBI के चालान के माध्यम से दिनांक— 29.09.2016 से 26.10.2016 तक की निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र(पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे । परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे ।

#### आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक—11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को हीं देय है ।
- (ii) पिछ़ड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछ़ड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र जिसमें क्रीमिलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण—पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु काउंसिलिंग के समय पिछ़ड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछ़ड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण—पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन—पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे । ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछ़ड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछ़ड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष के अन्दर का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।
- (iv) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा ।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या—62, दिनांक—05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलागों को 3 प्रतिशत (1% दृष्टि निःशक्तता, 1% मूकबधिर निःशक्तता तथा 1% चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—11/आ०नी०—I—10/2015 सा०प्र०—13185 पटना—15, दिनांक—03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत

क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरान्त महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा ।

अन्य:-

(i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई हैं । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे ।

अंतिम तिथि:-ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक- 27.09.2016 से 28.10.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।